



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

V-128  
10/11/23

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 8425

दिनांक 07-11-2023

## :- आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल का नाम	आवंटी का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	ग.नि.स.स/निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्री राजेश कुमार पुत्र श्री हरीश चन्द्र	श्री कुमार श्री चन्द्र	राजेश पुत्र श्री हरीश	बी-07	233.33	निजी खातेदारी	कृष्णा रेजीडेन्सी ब्लॉक बी	लीजडीड से फ्री होल्ड लीजडीड	आवेदक द्वारा प्रस्तुत लीजडीड, साईट प्लान, खोया-पाया की विज्ञप्ति, गुमशुदगी की रिपोर्ट, एफ.आई.आर. की छायाप्रतियाँ।

आवेदक द्वारा प्रस्तुत लीजडीड, साईट प्लान, खोया-पाया की विज्ञप्ति, गुमशुदगी की रिपोर्ट, एफ.आई.आर. की छायाप्रतिया के आधार पर लीजडीड से फ्री होल्ड लीजडीड करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का लीजडीड से फ्री होल्ड लीजडीड जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

यह 06/10/23  
उपायुक्त जोन-12  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन. सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

यह 06/10/23  
उपायुक्त जोन-12  
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/\BX - +91-141-2569696 : Fax - +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:- जविप्रा/उपा./जोन-12/2023/डी- 8456

दिनांक 07-7-2023

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	आवेदक का नाम	मूल आवेदक का नाम	सोसायटी के अनुसार संख्या भूखण्ड संख्या	भूखण्ड का क्षेत्रफल (व.ग.)	ग.नि.स.स./निजी खातेदारी योजना/जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिनके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री राकेश बिडवास पुत्र श्री कंवर सिंह	मैसर्स कासियान प्रमोटरर्स एण्ड डलवपर्स प्रा. लि. जरिये निदेशक श्री ज्ञानचन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री .सूरजमल अग्रवाल	एस-251	138.88	निजी खातेदारी	नारायण सिटी ब्लॉक	फ्री-होल्ड पट्टा	अन पंजीकृत मुख्यारनामा आम
2.	श्री कान्हा दास पुत्र श्री रामशरण दास	श्री कान्हा दास पुत्र श्री रामशरण दास	57	200.00	हसनपुरा-ए	गुरुकृपा	फ्री-होल्ड पट्टा	सूची में नाम अंकित नहीं है।
3.	श्री योगेन्द्र स्वामी पुत्र श्री छोटेलाल स्वामी	श्री योगेन्द्र स्वामी पुत्र श्री छोटेलाल स्वामी	48	416.00	हसनपुरा-ए	गुरुकृपा	फ्री-होल्ड पट्टा	सूची में नाम अंकित नहीं है।
4.	श्रीमती सुनीता, अनिता शिखा गुप्ता पुत्री स्व. श्री दशरथ गुप्ता, श्री बृजेश गुप्ता पुत्र स्व. श्री दशरथ गुप्ता, सावित्री देवी पत्नी श्री दशरथ गुप्ता ने संयुक्त रूप	श्री लक्ष्मण शर्मा पुत्र श्री हनुमान सहाय शर्मा	83	100.00	श्री गणपति	बालाजी विहार- II	फ्री-होल्ड पट्टा	मृत्यु प्रमाण पत्र

आवेदक द्वारा अपंजीकृत इकरानामा आम व सदस्यता सूची में नाम अंकित नहीं होने के आधार पर फ्री-होल्ड पट्टा करने में किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई आपत्ति हो तो 7 दिवस में जोन-12 कार्यालय में दर्ज करवायें, अन्यथा नियमानुसार उक्त भूखण्ड का फ्री-होल्ड पट्टा जारी की कार्यवाही आवेदक के पक्ष में कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-12  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:-जन सम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि, उक्त सूचना का दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराने का श्रम करें।

उपायुक्त जोन-12  
जविप्रा, जयपुर

रामकिशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहरलााल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

Direct Line - (+91-141-2574798) : EP/BX - +91-141-2569696: Fax - +91-141-2574555



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-1336


दिनांक 07-7-23

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-


क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	बी-165	श्री सोनू चन्दानी पुत्र श्री लालचन्द चन्दानी	जविप्रा	बक्सवाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु।
2.	409	श्रीमती लीना झा पत्नी श्री कमला नंद झा	निजी खातेदारी	केडियाज कोरिडोर	मूल लीजडीड खोने के आधार पर लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु
3.	410	श्रीमती लीना झा पत्नी श्री कमला नंद झा	निजी खातेदारी	केडियाज कोरिडोर	मूल लीजडीड खोने के आधार पर लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु
4.	14/OA/S-268	श्री प्रकाश शर्मा पुत्र स्व. श्री हरिनारायण शर्मा	जविप्रा	रिंग रोड योजना	नामहस्तान्तरण/लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु
5.	14/OD/S/209	श्री नीलकमल जैन पुत्र श्री धनराज पांडेया	जविप्रा	रिंग रोड योजना	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु


उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

  
उपायुक्त जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण-14  
जयपुर, जयपुर

प्रतिलिपि/

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

  
उपायुक्त जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण-जयपुर।  
जयपुर, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-1530

दिनांक 06-7-23

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा	योजना का नाम	विवरण
1.	23	श्रीमती सरोज शर्मा पत्नी श्री रामकिशोर	मित्र गृ.नि.स.स.लि.	राधा स्वामी नगर	लीजडीड हेतु
2.	B-8	श्री चंद्रकांत गुप्ता पुत्र श्री हरि नारायण अग्रवाल	अम्बेश्वर गृ.नि.स.स.लि.	पवन वाटिका	मूल लीजडीड खोने एवं वारिस के आधार पर नामहस्तान्तरण एवं लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड लीजडीड हेतु
3.	140	श्रीमती गायत्री देवी पत्नी श्री भंवर लाल शर्मा	रामराजपुरा गृ.नि.स.स.लि.	गोविन्द विहार-ए	फ्री होल्ड पट्टा हेतु
4.	10	श्री चन्द्रमोहन छीपा पुत्र श्री रामजीलाल छीपा	बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.	श्री हनुमंत विहार	फ्री होल्ड पट्टा हेतु
5.	8	श्रीमती सीमा छीपा पत्नी श्री गजनन्द छीपा	बाबा आर.एन.गौड गृ.नि.स.स.लि.	श्री हनुमंत विहार	फ्री होल्ड पट्टा हेतु
6.	ए-76	श्रीमती सुखी देवी पत्नी श्री रामअवतार शर्मा	जविप्रा	बकसावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु।
7.	बी-291	श्री रणजीत सिंह पुत्र भारत सिंह	जविप्रा	बकसावाला	नामहस्तान्तरण/लीजडीड हेतु।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/जोन-9/2023/डी- 3084

दिनांक:- 7/7/2023

## सार्वजनिक सूचना

उक्त भूखण्ड की नाम हस्तान्तरण/लीज होल्ड से फ्री होल्ड लीजडीड हेतु आम सूचना का प्रारूप निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	दुकान संख्या	क्षेत्रफल व.ग. मे	योजना का नाम	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	9	22.22	दक्षिणीपुरी फेज-प्रथम (निजी खातेदारी)	श्री गिरधारी लाल अग्रवाल पुत्र श्री मोहन लाल अग्रवाल	श्री विमल कुमार पुत्र स्व. श्री वासुदेव	मूल लीजडीड गुम होने के सम्बन्ध मे।

2023-07-07  
उपायुक्त, जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराया जाकर समाचार पत्र की प्रति उपलब्ध कराने का श्रम करावे।

2023-07-07  
उपायुक्त, जोन-9  
जविप्रा, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102681

दिनांक: 10/07/2023

लोक सूचना

श्री तरुण गोयल पुत्र श्री ताराचन्द गोयल जाति महाजन ग.नं. 9-10, शुभम एनक्लेव, सी-स्कीम, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	आवेदक का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	मदाऊ, सांगानेर (जयपुर)	श्री तरुण गोयल पुत्र श्री ताराचन्द गोयल जाति महाजन ग.नं. 9-10, शुभम एनक्लेव, सी-स्कीम, जयपुर।	683/382	1135	0.1135
कुल					0.1135

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक 10-07-2023 को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

यू.ओ.नोट

विषय: सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन कराये जाने बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-10 क्षेत्राधिकार में स्थित हैरिटेज सिटी में आ रही भूमि की सार्वजनिक सूचना संलग्न कर प्रकाशन कराये जाने हेतु संलग्न कर आपको प्रेषित है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार।

उपायुक्त(जोन-10)  
जविप्रा, जयपुर

जनसम्पर्क अधिकारी,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-10/2023/डी-1443

दिनांक: 07/07/23



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक: जविप्रा/उपा/जोन-10/2023/डी- 1442

दिनांक 07/07/23

## सार्वजनिक सूचना

जयपुर विकास प्राधिकरण में जोन-10 क्षेत्राधिकार में स्थित हैरिटेज सिटी में आ रही भूमि राजस्व ग्राम गोविन्दपुरा उर्फ रोपडा तहसील सांगानेर जिला जयपुर के खसरा नम्बर 832 रकबा 0.4800 है. मे से 0.4300 है0, खसरा नम्बर 839 रकबा 0.2600 है0 सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 841 रकबा 0.2900 है0 सम्पूर्ण, खसरा नम्बर 844 रकबा 0.5500 है0 सम्पूर्ण कुल रकबा 0.15300 है. मे से 1/3 अर्थात् 5100 वर्गमीटर के खातेदार/खातेदारो/वारिसान कल्याण पुत्र गोविन्दा द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुये राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत है।

सभी संबन्धितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-10 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात यदि कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।